

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Order**

The 23rd July, 2010

**No. S.O. 81/C.A. 2/1899/S. 9/2010.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), and in supersession of Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, Order No. S.O. 53/C.A. 2/1899/S. 9/2006, dated the 19th May, 2006, the Governor of Haryana hereby remits the duty chargeable under the said Act in respect of all transactions and transfers of immovable property or documents related thereto within the Special Economic Zone.

The stamp duty paid by the Developer in respect of the transactions of immovable property entered into, after the commencement of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act 28 of 2005) but prior to the notification of the area as Special Economic Zone, shall be refunded after the Special Economic Zone is so notified.

The appropriate entries shall be made in the revenue records against the land so notified as Special Economic Zone to the effect that in respect of the same the stamp duty has either been refunded or not paid and its further sale by the Developer shall not be permissible unless the Special Economic Zone has been denotified and the benefit of the stamp duty availed is remitted to the Revenue Department by him with interest at the rate of 12% per annum on the said amount chargeable with effect from the date the refund was made or the stamp duty was not paid, as the case may be, to the date of remission and a certificate is obtained in this regard from the revenue authorities.

**NARESH GULATI**Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana,  
Revenue and Disaster Management Department.

भाग - III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 23 जुलाई, 2010

संख्या का०आ० 81/के०अ० 2/1899/घा० 9/2010.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, आदेश संख्या का०आ० 53/के०अ० 2/1899/घा० 9/2006, दिनांक 19 मई, 2006 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विशेष आर्थिक ज़ोन में अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित दस्तावेजों के सभी संव्यवहारों तथा अन्तरणों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क माफ करते हैं।

विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 28) के प्रारम्भ के बाद, किन्तु विशेष आर्थिक ज़ोन के रूप में क्षेत्र की अधिसूचना से पूर्व किए गए अचल सम्पत्ति के संव्यवहार के संबंध में विकासक द्वारा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार अधिसूचित विशेष आर्थिक ज़ोन के बाद वापस किया जाएगा।

विशेष आर्थिक ज़ोन के रूप में इस प्रकार अधिसूचित भूमि के विरुद्ध राजस्व अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां इस प्रभाव से की जाएंगी कि उसके संबंध में या तो स्टाम्प शुल्क वापस किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है तथा इसका विकासक द्वारा आगे विक्रय तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि विशेष आर्थिक ज़ोन की अधिसूचना वापस न ली गई हो तथा उस द्वारा प्राप्त किया गया स्टाम्प शुल्क का लाभ उक्त प्रभार्य राशि पर उस तिथि से जिसको वापस किया गया था या स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जैसी भी स्थिति हो, छूट की तिथि से तथा राजस्व प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तक उस द्वारा प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित राजस्व विभाग को वापस किया जाएगा।

नरेश गुलाटी

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।